

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग लखनऊ
(आई०डी०एस० वर्ग)

60

पत्रांक- 14/रोड सेफ्टी/2015

दिनांक:- 11/05/2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण ।
उ०प्र० शासन, लखनऊ ।

विषय:-मार्ग दुर्घटना के कारणों का स्वतन्त्र एजेन्सी से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि प्रस्तावित रोड सेफ्टी बिल, 2014 में मार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये सजा दिये जाने का प्रस्ताव है । वर्तमान में मार्ग दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में प्रथम सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाना क्षेत्रों द्वारा मार्ग दुर्घटनाओं से सम्बन्धित कारणों को अंकित कर अभिलेखित किया जाता है । यह विश्लेषण पूर्णतः विवेचना अधिकारी द्वारा स्थानीय जानकारी व स्वयं विवेक से अभिलेखित किये गये आंकड़ों पर आधारित होता है । इस कारण बहुत से तकनीकी तथ्य, मार्ग की दशा, वाहन की गति, सिग्नल ब्रेकिंग, वाहन/यात्रियों का मूवमेंट व अन्य तथ्यों को उपेक्षा करते हुए मार्गों पर दुर्घटनाओं के कारण अंकित कर दिया जाता है । जिसको यातायात पुलिस निदेशालय से विश्लेषित करके सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराया जाता है । इनसे प्राप्त निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं । इसलिये मार्ग दुर्घटना स्थल की जांच स्वतन्त्र एजेन्सी अथवा अथॉरिटी से कराने के उपरान्त कारणों को अभिलेखित किया जाना आवश्यक है, जिससे दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों को ज्ञात कर सम्बन्धित विभाग द्वारा समस्या का उचित निदान किया जा सकेगा ।

प्रदेश स्तर पर विश्व बैंक सहायता/लोन के अन्तर्गत मार्ग दुर्घटनाओं से सम्बन्धित आंकड़ों को एकत्रित, संकलित एवं विश्लेषित करके उनके कारणों का निष्कर्ष प्राप्त किये जाने हेतु सम्भवतः यातायात पुलिस निदेशालय में सॉफ्टवेयर विकसित किया जाना प्रस्तावित है । दुर्घटनाओं से सम्बन्धित वास्तविक कारणों को ज्ञात किये जाने हेतु, स्वतन्त्र एजेन्सी से निरीक्षण उपरान्त आंकड़ों का सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि किया जाना आवश्यक होगा । उक्त सॉफ्टवेयर से विश्लेषित आंकड़ें सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित सभी विभागों द्वारा प्राप्त कर अपने क्षेत्रों से समस्या का निदान किया जा सकेगा ।

अतः दुर्घटनाओं के कारणों को ठीक-ठीक ज्ञात करके अंकित करने हेतु स्वतन्त्र जांच एजेन्सी या अथॉरिटी का गठन किया जाना श्रेयस्कर एवं उपयोगी होगा, जो सम्बन्धित सभी विभागों के सम्पर्क में रहकर स्वतन्त्र रूप से मार्ग का रख रखाव व प्रबन्धन सुनिश्चित कर सके ।

भवदीय,

(ए० के० गुप्ता)

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष